

**जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त का कार्यालय,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर**
(राजस्व शाखा)

पत्रांक:- 1908/रा0,

प्रेषक,

उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर ।

सेवा में,

पुलिस उप महानिरीक्षक (संभरण/लेखा),
झारखण्ड सेक्टर, कै0रि0पु0बल,
राँची, झारखण्ड ।

जमशेदपुर, दिनांक - 19 वीं सितम्बर 2016 ई0 ।

विषय:- गैर मजरूआ Deemed Forest (जंगल-झाड़ी, जंगल सखुआ, जंगल इत्यादी) भूमि के अपयोजन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में।

प्रसंग - राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची का राज्यादेश संख्या- 2861/रा0, दिनांक- 19.06.2015

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि सी0आर0पी0एफ0 के ग्रुप सेन्टर की स्थापना हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, घाटशिला एवं अंचल अधिकारी, घाटशिला से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के परिपत्र संख्या 1817/रा0, दिनांक- 30.04.2015 के आलोक में "गैर मजरूआ Deemed Forest (जंगल-झाड़ी, सखुआ जंगल इत्यादि) भूमि जो घाटशिला अंचलान्तर्गत कुल रकवा- 6.81 एकड़ में सन्निहित है। भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र0सं0	अंचल का नाम	मौजा का नाम	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा ए0 में
1	घाटशिला	गोपालपुर	1106	32	90	1.23
					94	1.44
		बड़ापहाड़	1107	66	312/1/2	1.97
					312/1/4	0.48
					312/2	0.07
				67	318	1.62
कुल						6.81 ए0

"उपरोक्त गैर मजरूआ Deemed Forest भूमि के अपयोजन हेतु जिला प्रशासन को कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

विश्वासभाजन

Unit 1
उपायुक्त,
13.9.16

पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।